अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20(101/03)/एस एफ/बजट/लेखा/आकशि/2020/37 दिनांक 18.09.20

1. प्राचार्य,समस्त राजकीय महाविद्यालय (पुरूष/महिला/विधि/टी.ए.डी)।
2. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।
3. कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी (अनुदान/छात्रवृति) कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्यय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान नियमित प्रक्रिया के अधीन राज्य सरकार (प्रशासनिक विभाग) एवं वित्त विभाग को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किए जाने हैं। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों एवं योजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रपत्रों में आय– व्ययक एवं संशोधित अनुमान संलग्न समय सारिणी के अनुसार आयुक्तालय की लेखा शाखा एवं आयोजना शाखा में प्रस्तुत करे। आय–व्ययक अनुमान तैयार करने से पूर्व बजट नियमावली तथा वित्त विभाग के बजट परिपत्र क्रमांक प. 4 (196) वित्त–1 (1) आ. व्य./2020 दिनांक 08.09.2020 में दिये गये निर्देशों का अध्ययन कर ले।

बजट अनुमानों को IFMS पर online फारवर्ड कर **आनलाईन** प्रपत्रों एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं की प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी की प्रति संलग्न समय सारणी के अनुसार प्रस्तुत करे। प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष अपने लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक को **योजनाओं के अतिरिक्त** व्यय से संबंधित बजट मदों के प्रस्ताव आयुक्तालय, की लेखा शाखा में एवं **केन्द्रिय प्रवर्तित तथा राज्य योजनाओं** से संबंधित बजट मदों के बजट प्रस्ताव आयुक्तालय की पी.एन.सी. शाखा में प्रस्तुत करने हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करें। यदि अपरिहार्य कारणों से आयुक्तालय में बजट प्रस्तावों सहित उपस्थित होने में असमर्थ हो तो समय सारणी में आपके लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व ई–मेल cao.cce@rajasthan.gov.in पर बजट प्रस्ताव प्रेषित करें तथा निर्धारित तिथि को स्वयं के कार्यालय में उपस्थित रहें ताकि आपके द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर आवश्यक चर्चा की जा सके। यदि प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष, लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक निर्धारित तिथि को आयुक्तालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर बजट प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, तो उनकी उपस्थिति के अभाव में प्रस्तुत बजट के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ध्यान रहें कि एक व्यक्ति से अधिक को इस संबंध में यात्रा अनुज्ञेय नहीं होगी तथा उपस्थिति के समय कोविड–19 के संबंध में जारी दिशा–निर्देश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।

विशेष ध्यानाकर्षण के बिन्दु:–

1. महाविद्यालय एवं IFMS पर दर्शित पदों का मिलान सुनिश्चित कर लें भिन्नता की स्थिति में पी. एण्ड.सी शाखा से सम्पर्क कर आवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. महाविद्यालयों में योजनाओं के अतिरिक्त (नॉन–प्लान) में स्वीकृत पदों के लिए वित्तीय प्रावधान नॉन–प्लान में तथा योजनाओं (आयोजना/प्लान) में स्वीकृत पदों के लिए योजनाओं के मद में ही बजट प्रस्तावित करें। स्वीकृत पदों से अतिरिक्त पदों के लिए बजट प्रस्तुत नहीं करें।
3. प्रपत्र 8 में संवेतन में प्रभावी वर्तमान दर से वेतन भत्तों की गणना की जावे एवं प्रपत्र 8ए में कार्मिकों की संवेतन गणना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। रिक्त पदों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जाये।
4. बजट नोट के अन्तर्गत संबंधित बजट मद में गत वर्ष प्रस्तुत अनुमान (B.E. 2020–21) से R.E. 2020–21 में वृद्धि/कमी की स्थिति में औचित्य के साथ कारण प्रस्तुत किया जाना है। **बजट नोट के आभाव में बजट प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे।**

5. संशोधित आय अनुमान 2020–21 के साथ वास्तविक आय में अब तक प्राप्त राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाकर ही आयुक्तालय में उपस्थित हों। प्राप्ति मदों में वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुमान विद्यमान दरों पर ही आधारित हो एवं ऐसे कारणों/परिस्थितियों का भी उल्लेख किया जाना चाहिये जिनसे प्राप्तियाँ प्रभावित हुयी हैं।
6. समस्त प्रपत्रों में **राशि हजारों** में प्रस्तुत करें ।

<u>आनलाईन प्रपत्रो के अलावा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र</u>

1. **चिकित्सा मद एव यात्रा व्यय मद में आवंटित बजट का उपयोग बजट प्रस्तुतीकरण तक किया जाना सुनिश्चित करें** । भुगतान पश्चात यदि बकाया दावे शेष रहते है तो ऐसे दावों की सूची सलंग्न परिशिष्ट के क्रमशः प्रपत्र A-1 एवं प्रपत्र A-2 में प्रस्तुत करे ।
2. छात्रनिधि से किये गये अपरिहार्य किन्तु असमायोजित **कार्यालय** व्यय का विवरण सलंग्न परिशिष्ट प्रपत्र A-3 मे प्रस्तुत करेंगे ।
3. **बी.एफ.सी से पूर्व आवंटित राशि का नियमानुसार यथासम्भव उपयोग सुनिश्चित कर लेवे। बी. एफ. सी. तक आवंटित राशि का उपयोग बकाया दायित्वों के पुनर्भरण में नहीं होने पर अतिरिक्त राशि की बजट मांग स्वीकार नहीं की जायेगी।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.20(101/03)/एस.एफ./बजट/लेखा/आकशि/2020/38-43 दिनांक 18.09.20

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संयुक्त निदेशक (योजना एवं समन्वय/स्थापना/अनुदान/HRD/प्रशासन) को भेजकर लेख है कि शाखा से सम्बन्धित योजनाओं के अतिरिक्त बजट मदों में यदि कोई प्रस्ताव सम्मिलित किये जाने है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी जयपुर के साथ प्रस्तुत करें।
2 संयुक्त निदेशक (P&C) को भेजकर लेख हैं कि महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों एवं IFMS पर स्वीकृत पदों का मिलान कर वित्त विभाग की समय सारिणी के अनुसार पदों को अद्यतन किया जाना एवं महाविद्यालयों से बजट प्रस्तावों के साथ प्राप्त प्रपत्र–1 को प्रमाणित करने की व्यवस्था संलग्न समय सारिणी के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
3 वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

परिशिष्ट

प्रपत्र A – 1

(राशि हजारों में)

बकाया चिकित्सा दावों की सूची

क्र.सं	नाम कर्मचारी	दावा प्राप्त होने की दिनांक	व्यय राशि	नियमानुसार पुर्नभरण योग्य	विशिष्ट बीमारी का विवरण
1					
2					

प्रमाणित किया जाता है कि दावों की नियमानुसार जांच कर ली गई है।

ह. प्राचार्य

ह. स. लेखाधिकारी / लेखाकर्मी

प्रपत्र A – 2

(राशि हजारों में)

बकाया यात्रा दावों की सूची

(राशि हजारों में) क्र.सं.	नाम कर्मचारी	दावा प्राप्त होने की दिनांक	नियमानुसार भुगतान योग्य राशि
1			
2			

प्रमाणित किया जाता है कि दावों की नियमानुसार जांच कर ली गई है

ह. प्राचार्य,

ह. स. लेखाधिकारी / लेखाकर्मी

प्रपत्र A – 3

छात्र निधि से किये गये व्यय की सूची जिनका पुनर्भरण आवंटित बजट से किया जाना है।

(राशि हजारों में)

क्र.सं.	कार्यालय व्यय के रूप में किये गये व्यय	राशि	एफिलेशन (सम्बद्धता) के रूप में किये गये व्यय	राशि
1				
2				
योग				

प्रमाणित किया जाता है कि दावों की नियमानुसार जांच कर ली गई है

ह. प्राचार्य,

ह. स. लेखाधिकारी / लेखाकर्मी

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

बजट अनुमान 2021–22 एवं संशोधित अनुमान 2020–21 प्रस्तुत करने हेतु ऑफिस आई.डी अनुसार समय सारिणी:–

राज्य निधि अन्तर्गत योजनाओं के अतिरिक्त बजट मद

(2202–03–103–13–01=**A**, 2202–03–001–02–01=**B**, 2202–03–103–14–01=**C**, 2202–03–103–15–01=**D**, 2202–03–796–11–01=**E**)

क्र.सं.	दिनांक	ऑफिस आई.डी.	बजट मद	समय
1	23.09.2020	247,248,249,250,251	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		252,253,254,255,256	A	2:30-5:00 p.m.
2	24.09.2020	257, 259, 260, 261 ,262	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		263,264, 265,266,267	A	2:30-5:00 p.m.
3	25.09.2020	268,269,270,271,272	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		273,274,275,276,277	A	2:30-5:00 p.m.
4	28.09.2020	278,279,280,281,282	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		283,284,285,286,287	A	2:30-5:00 p.m.
5	29.09.2020	288,289,290,291,292	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		293,294, 295,329,330,331	A	2:30-5:00 p.m.
6	30.09.2020	332,333,334,335,336	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		341,342,343,344,345	A	2:30-5:00 p.m.
7	01.10.2020	346,347,348,349,350	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		351,3019,4937,4956,10105	A	2:30-5:00 p.m.
8	05.10.2020	10690,11180,11597,12160,13041	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		13484,15021,15508,15520,15927	A	2:30-5:00 p.m.
9	06.10.2020	20147,20148,26112,26114,31235	A	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		32508,32510,32513,32514,32517	A	2:30-5:00 p.m.
10	07.10.2020	32520,3602,6937,7286,11503	A/B	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		15422,24209,296,297,298	B/C	2:30-5:00 p.m.
11	08.10.2020	299,300,301,302,303	C	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		304,305,306,307,308	c	2:30-5:00 p.m.
12	09.10.2020	309,310,311,312,313	C	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		314,315,316,317,318	C	2:30-5:00 p.m.
13	12.10.2020	319,337,3170,5846,15906	c	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		16193,17071,17303,24208,32511,32515	C	2:30-5:00 p.m.
14	13.10.2020	3340,8709,9927,12116, 13162	D	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		16500,18357,24199, 24200,24201	D	2:30-5:00 p.m.
15	14.10.2020	24202,24203,24204,24205,24206	D	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		320,321,322,323, 338	E	2:30-5:00 p.m.
16	15.10.2020	2251,5895,10295,13431,15384,20277	E	10:00 a.m.-1:00 p.m.

केन्द्रिय प्रवर्तित तथा राज्य योजनाओं से संबंधित बजट मद			
क्र.सं.	दिनांक	ऑफिस आई.डी.	समय
1	26.10.2020	32428,33055,33377,33332,33376,31263,31258	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		32427,33378,33051,32426,33380,32782,31718	2:30-5:00 p.m.
2	27.10.2020	33054,33053,33375,33052,33379,31594,31588	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		33057,33060,33056,33370,33058,33059,31586	2:30-5:00 p.m.
3	28.10.2020	33382,33381,32517,32508,32783,32424,31589	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		32513,31256,32511,31257,32781,31593,31242	2:30-5:00 p.m.
4	29.10.2020	31235,31236,31259,32786,31595,31253,31244	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		32785,31592,32784,31256,31591,31590,31243	2:30-5:00 p.m.
5	02.11.2020	31587,31250,31252,31248,31251,31255,31246	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		31249,31245,31247,31262,31261,31254,31260	2:30-5:00 p.m.
6	03.11.2020	32787,32514,31717,31264,31266,31267,31269	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		31268,32515,32518,32516,32510,26114	2:30-5:00 p.m.
7	05.11.2020	33936,33937,33938,33939,33940,35085,35086	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		35087,35088,35089,35090,35091,35092,35093,35094	2:30-5:00 p.m.
8	06.11.2020	35095,35096,35097,35098,35099,35100,35101,35102,	10:00 a.m.-1:00 p.m.
		35103,35104,35105,35106,35107,35108,35109,35173	2:30-5:00 p.m.
9	09.11.2020	35675, 31589, 35676, 35677, 35678, 35679, 35680	10:00 a.m.-1:00 p.m.
10	10.11.2020	35681, 35682, 35683, 31261, 35684, 35685, 35707	10:00 a.m.-1:00 p.m.
11	18.11.2020	250, 35827, 35688, 35689, 35690, 35691, 35692	10:00 a.m.-1:00 p.m.
12	19.11.2020	35693, 35674, 35694, 35695, 35696, 35697, 35698	10:00 a.m.-1:00 p.m.
13	20.11.2020	35699, 35700, 35701, 35702, 31256, 35703, 35704, 35705, 35706	10:00 a.m.-1:00 p.m.

वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान संबंधी कार्य को बहुत गम्भीरता से लिया जाता है एवं यह एक समयबद्ध प्रक्रिया होने के कारण **सभी प्राचार्यों/आ.वि.अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त समय सारिणी की कठोरता से पालना किया जाना सुनिश्चित करेंगे** अन्यथा विलम्ब के कारण यदि किसी महाविद्यालय के बजट अनुमान विभागीय बजट अनुमानों में सम्मिलित होने से रह जाते हैं तो इसकी पूर्ण समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्रधान की होगी।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर